

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
(सिडबी)**



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

सिडबी की स्थापना अप्रैल, 1990 में संसद के अधिनियम अर्थात् भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले अनुपूरक बैंक के रूप में हुई थी। 27 मार्च, 2000 से बैंक को आई डी बी आई से अलग कर दिया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के संवर्धन, वित्त-पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है और लघु उद्योग

क्षेत्र में इसी क्षेत्र में लगी संस्थाओं के क्रिया-कलापों, जिनमें अति लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योग शामिल हैं, को नई परियोजनाओं की स्थापना, विस्तार, विविधिकरण, आधुनिकीकरण और मौजूदा इकाइयों के पुनर्वास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई उपयुक्त योजनाओं (जो नीचे दी गई हैं) के माध्यम से समन्वित करता है। सिडबी अपने विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएँ अपने 5 क्षेत्रीय कार्यालयों और 33 शाखा कार्यालयों के माध्यम से चलाता है।

लघु उद्योगों की समस्याओं को कम करने के लिए योजनाएँ

लघु उद्योगों की समस्या	समस्या को दूर करने के लिए सिडबी द्वारा चलाई गई योजनाएँ
1. बिलों का विलंबित भुगतान	— प्रत्यक्ष बिल भुनाई (अवयव) योजना — प्रत्यक्ष बिल भुनाई (उपकरण) योजना — प्रत्यक्ष फैक्ट्रिंग सेवा — प्रत्यक्ष बिल भुनाई (उपकरण) — लघु उद्योगों के इन्वैण्ड सप्लाय बिलों के बदले बिल पुर्भुनाई योजना — बीजक भुनाई योजना
2. प्रौद्योगिकी का अप्रचलन	— प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि (टी डी एम एफ) योजना (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता दोनों) — आई एस ओ 9000 योजना (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) — वस्त्र उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता दोनों) — टैनरी आधुनिकीकरण कोष योजना (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)
3. कार्यकारी पूँजी उपलब्धता	— सिंगल विन्डो योजना — संघटक ऋण योजना — कार्यकारी पूँजी आवधिक ऋण — अल्पावधिक ऋण प्रमुख ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष सहायता

लघु उद्योगों की समस्या	समस्या को दूर करने के लिए सिडबी द्वारा चलाई गई योजनाएँ
4. अपर्याप्त विपणन	— लघु उद्योग उत्पादों के लिए विपणन से सम्बन्धित वित्त-पोषण योजना
5. उपयुक्त आधारभूत संरचना का अभाव	— लघु उद्योग क्षेत्र के लिए औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रत्यक्ष सहायता की योजना — समेकित आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम (आई आई डी)
6. अपर्याप्त निर्यात ऋण	— निर्यात बिलों के वित्त-पोषण के लिए योजना — विदेशी मुद्रा में जहाज में लदान पूर्व ऋण — लदान पूर्व/लदान के बाद रुपयों में ऋण विदेशी ऋण-पत्र
7. उद्यम पूँजी उपलब्धता	— उद्यम पूँजी योजना
8. मानव संसाधन विकास	— उद्यमिता विकास कार्यक्रम — लघु उद्योग प्रबंध कार्यक्रम — कौशल एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम

सिडबी के क्रिया-कलापों का विस्तार करना

उद्यम पूँजी विभाग (1992-93 से)

- उद्यम पूँजी कोष की स्थापना।
- लघु उद्योगों को समर्पित अन्य निधियों के संग्रह के लिए प्रत्यक्ष उद्यम पूँजी सहायता और योगदान।
- साफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए लघु उद्योग समर्पित कोष आरम्भ करना।

केन्द्र/ राज्य सरकारों की भागीदारी से साफ्टवेयर/ सूचना प्रौद्योगिकी में लघु इकाइयों को समर्पित राज्य/क्षेत्रीय स्तर के उद्यम पूँजी कोष शुरू करने के लिए सिडबी ने भारी पहल आरम्भ की है।

लघु उद्यम प्रौद्योगिकी ब्यूरो (1994-95 से)

- प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण
- अनुकूलन सेवाएँ
- वित्त संघ-संघटन
- संयुक्त उद्यमों की सुविधा

लघु उद्योगों के लिए उपयुक्त लघु उद्यम प्रौद्योगिकी ब्यूरो (टी बी एस ई) द्वारा स्थापित डाटा बेस में डाले गए प्रौद्योगिकी प्रस्तावों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। 31 मार्च, 2001

की स्थिति के अनुसार टी बी एस ई ने लघु उद्यमों और एसोसिएट एजेन्सियों के 4,617 प्रश्नों का उत्तर दिया है और अपने डाटाबेस में 512 सदस्यों को पंजीकृत किया है। टी बी एस ई ने 96 लघु उद्यमों को उनके लिए आवश्यक उपयुक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी की पहचान करने में मदद दी है।

विपणन वित्त व विकास विभाग (1995-96 से)

- मार्च, 1995 में विपणन विकास सहायता कोष स्थापित किया गया।
- विपणन से सम्बन्धित कार्य शुरू करने के लिए लघु उद्योगों को सीधी सहायता।
- मध्यवर्तियों को संसाधन सहयोग
- लघु उद्योग उत्पादों के विपणन से सम्बन्धित विकास कार्य।

31 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार विपणन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत संचयी सहायता 933 करोड़ रुपये है।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त विभाग (1996-97 से)

- जहाज में लदान पूर्व/लदान के बाद ऋण
- विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण



- विदेशी ऋण-पत्र

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग (1998-99 से)

- परामर्शी सेवाएँ
- संस्थागत उन्नयन और प्रशिक्षण
- क्रमबद्ध ऋण की स्थापना, विशेषकर विकासशील देशों के लिए

वर्ष 2000-2001 के दौरान अनेक शिष्ट मण्डलों ने बैंक का दौरा किया जिनमें सूडान की सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं जिन्होंने गरीबी उन्मूलन के संस्थागत उपायों पर और ऐसे कार्यक्रमों के निष्पादन में सिडबी के अनुभवों से फायदा उठाने के लिए बैंक के साथ बातचीत की। नाईजीरिया के एक शिष्ट मण्डल, जिसमें सरकारी अधिकारी और उद्योग के प्रतिनिधि थे, ने भी बैंक के साथ बातचीत की और माइक्रो वित्त में सिडबी का अनुभव लेने में रुचि दिखाई।

माइक्रो ऋण के लिए सिडबी फाउण्डेशन (1998-99 से)

- माइक्रो स्तर पर ऋण देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के लिए एक अरब रुपये का कोष
- माइक्रो वित्त संस्थाओं का क्षमता निर्माण
- माइक्रो वित्त संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों की रेटिंग
- माइक्रो वित्त उत्पाद अभिनवकरण

सिडबी माइक्रो ऋण फाउण्डेशन गरीबों को विशेषकर महिलाओं को माइक्रो वित्त सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अनौपचारिक और औपचारिक वित्त क्षेत्र से मजबूत, व्यवहार्य और स्थायी माइक्रो वित्त संस्थाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए नए केन्द्र-बिन्दु और दृष्टिकोण के साथ गरीबों के लिए धन को चैनलबद्ध करने के उद्देश्य से जनवरी, 1999 में शुरू किया गया था। 31 दिसम्बर, 2001 तक सिडबी ने योजना के अन्तर्गत लगभग 88.35 करोड़ रुपये की संचयी ऋण सहायता

प्रदान की है जिससे लगभग 5 लाख गरीबों को लाभ पहुँचा है।

सिडबी उद्यम पूँजी लि. एण्ड सिडबी

ट्रस्टी कम्पनी लि. (1999-2000 से)

- साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए राष्ट्रीय उद्यम कोष के लिए वित्तीय सहायता
- प्रबन्धकीय जानकारी
- सिडबी द्वारा बनाए गए उद्यम पूँजी कोष के लिए ट्रस्टी कम्पनी के रूप में काम करना

साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए राष्ट्रीय उद्यम कोष का प्रमुख उद्देश्य साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के कुल कोष की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, विशेषकर लघु क्षेत्र में। यह कोष अन्तराष्ट्रीय नेटवर्किंग भी विकसित करेगा और वित्त-पोषण के अनुवर्ती दौरों में सहायता-प्राप्त इकाइयों को अन्तराष्ट्रीय उद्यम पूँजीपतियों का सह-निवेश आकर्षित करने में मदद देगा। एन एफ एस आई टी 10 वर्ष की अवधि का कोष है जिसमें आरम्भिक अवस्था में सिडबी, सूचना और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय और भारत सरकार ने 1 अरब रुपये का कोष जुटाया है।

सिडबी की स्वीकृतियाँ, संवितरण और बकाया का वर्षवार विवरण सारणी-1 में दिया गया है।

1990-2001 की अवधि के दौरान सिडबी का योजना-वार कार्य-निष्पादन सारणी-2 में दिया गया है।

1990-2001 की अवधि के लिए सिडबी द्वारा दी गई क्षेत्र/राज्यवार सहायता सारणी-3 में दी गई है।

सिडबी की पुनर्वित्त सहायता की स्थिति उद्योगवार सारणी-4 में दी गई है।

1990-1991 से 2000-01 तक सिडबी के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें सारणी-5 में दी गई हैं।

सारणी-1
सिडबी की स्वीकृतियाँ, वितरण और बकाया पोर्टफोलियो

(अरब रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृतियाँ	वितरण	मार्च के अन्त में बकाया
1990-91	24.10	18.39	51.77
1991-92	28.47	20.28	64.76
1992-93	29.09	21.46	72.53
1993-94	33.56	26.73	88.01
1994-95	47.06	33.90	97.01
1995-96	60.66	48.01	108.72
1996-97	64.85	45.85	121.85
1997-98	74.84	52.41	128.62
1998-99	88.80	62.85	142.09
1999-00	102.65	69.64	151.94
2000-01	108.21	64.41	145.71

(स्रोत : सिडबी वार्षिक रिपोर्ट)



सारणी-2 1990-2001 के दौरान सिडबी का योजनावार कार्य-निष्पादन

(दस लाख रुपयों में)

सहायता की योजना	1990-1999		1999-2000		2000-2001		1990-2001	
	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण
(क) पुनर्वित्त सहायता								
बैंकों को एस टी एल और पुनर्वित्त के बदले में एल ओ सी सहित पुनर्वित्त								
उप-योग (क)	227,922.6	172,251.7	64,035.3	41,506.7	80,879.9	44,115.9	372,837.8	257,874.3
(ख) बिल								
बिल रिडिस्काउंटिंग (उपकरण) योजना	22,421.9	16,045.9	2,417.1	1,793.9	751.2	561.8	25,590.2	18,401.6
बिल रिडिस्काउंटिंग (इन्लैण्ड सप्लाय बिल) योजना	186.3	183.0	139.5	137.4	107.3	105.6	433.1	426.0
प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग (उपकरण) योजना	23,773.0	17,076.1	4,703.8	3,629.4	2,747.3	2,053.0	31,224.1	22,758.5
प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग (संघटक) योजना	69,568.0	67,216.7	7,774.3	7,576.6	5,199.1	5,065.9	82,541.4	79,859.2
उपयोग (ख)	115,949.2	100,521.7	15,034.7	13,137.3	8,804.9	7,786.3	139,788.8	121,445.3
(ग) लघु उद्योगों के वित्त-पोषण में लगी संस्थाओं/एजेंसियों को संसाधन सहायता								
एस एफ सी/एस आई डी सी/एन एस आई सी	24,665.0	13,879.6	4,550.0	2,800.0	2,350.0	1,350.0	31,565.0	18,029.6
एस एस आई डी सी	390.9	390.9	571.5	453.5	460.4	340.4	1,422.8	1,184.8
एन बी एफ सी को लीजिंग/एच पी के लिए सहायता	19,717.5	14,151.8	1,300.0	00	650.0	100.0	21,667.5	14,251.8
एस एफ सी/एस आई डी सी/एन एस आई सी को लीजिंग के लिए सहायता	3,150.0	964.7	00	156.4	00	00	3,150.0	1,121.1
फैक्टरिंग कम्पनी को एल ओ सी	4,110.0	3,400.0	2,135.0	2,105.0	1,592.0	1,335.0	7,837.0	6,840.0
एस एफ सी/एस आई डी सी/बैंकों को एल ओ सी विपणन के लिए एस एफ सी/एस आई डी सी/एन एस आई सी को एल ओ सी	2,660.0	1,930.5	181.0	31.0	00	00	2,841.0	1,961.5
एस आई सी को एल ओ सी	1,850.0	300.0	718.3	100.0	220.0	00	2,788.3	400.0
अन्यों को एल ओ सी	12,965.5	6,016.7	250.0	150.8	00	00	13,215.5	6,168.5
उपयोग (ग)	69,508.9	41,034.2	9,705.8	5,796.7	5,272.4	3,125.4	84,487.1	49,956.3
(घ) परियोजना सम्बद्ध वित्त-योजना								
परियोजना वित्त पोषण	7,678.7	3,852.6	612.3	351.1	418.1	302.8	8,718.1	4,506.5
उपकरण वित्त योजना	1,288.5	816.6	46.9	62.3	11.5	14.6	1,346.9	893.5
प्रौद्योगिकी विकास व आधुनिकीकरण निधि	1,483.5	528.3	312.2	294.4	226.7	151.3	2,022.4	974.0
ढाँचागत विकास और समेकित ढाँचागत विकास योजना	11,201.0	1,947.4	1,755.6	527.2	1,019.0	486.8	14,152.6	2,961.4
उद्यम पूँजी सहायता	1,831.9	375.8	387.4	75.1	20.0	335.9	2,239.3	786.8
विदेशी मुद्रा/रुपये में लदान पूर्व ऋण	5,806.8	3,204.5	2,783.2	2,666.4	2,538.0	2,417.8	11,128.0	8,288.7
रुपयों में निर्यात बिल वित्त-पोषण/लदान के बाद ऋण	1,719.5	1,350.1	2,776.7	2,390.4	3,593.3	3,010.0	8,089.5	6,750.5
विपणन	3,039.7	1,495.3	917.3	1,085.6	1,099.3	454.1	5,056.3	3,035.0
अनुषंगी/विक्रेता विकास	244.7	175.5	00	00	00	00	244.7	175.5
लघु उद्योग इकाइयों को अल्पावधिक ऋण	1,039.8	860.0	35.5	32.8	7.0	7.0	1,082.3	899.8
कार्यकारी पूँजी आवधिक ऋण	27.3	00	00	00	00	00	27.3	00
प्रत्यक्ष ईक्विटी सहायता	58.2	50.5	00	00	00	00	58.2	50.5
आई एस ओ 9000/गुणवत्ता परीक्षण केन्द्र	21.7	11.8	0.5	0.3	0.3	0.0	22.5	12.1
फैक्टरिंग सेवाएँ	15.8	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	5.2
अन्य योजनाएँ	578.3	9.6	3,577.4	1,197.7	3,496.2	1,779.8	7,651.9	2,987.1
उपयोग (घ)	36,035.4	14,683.2	13,214.0	8,683.3	12,606.4	8,960.1	61,855.8	32,326.6
(ङ) ईक्विटी सहायता								
बीज पूँजी (सामान्य)	11.3	13.1	0.7	0.8	0.0	0.0	12.0	13.9
राष्ट्रीय ईक्विटी निधि	925.2	742.2	330.7	296.1	195.5	162.2	1,451.4	1,200.5
महिला उद्यम निधि	146.0	113.9	24.3	23.1	6.7	6.3	177.0	143.3
भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार	190.7	166.1	0.6	0.5	0.0	0.0	191.3	166.6
उपयोग (ङ)	1,273.2	1,035.3	356.3	320.5	202.2	168.5	1,831.7	1,524.3
(च) पी एण्ड डी के अन्तर्गत सहायता	748.2	344.6	301.3	190.5	440.2	257.9	1,489.7	793.0
कुल योग	451,437.5	329,870.7	102,647.4	69,635.0	108,206.0	64,414.1	662,290.9	463,919.8

(स्रोत : सिडबी)

सारणी-3 क्षेत्रवार/राज्यवार सहायता

(दस लाख रुपयों में)

राज्य	1990-99		1999-2000		2000-2001		1990-2001			
	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	%शेयर स्वीकृति	वितरण	%शेयर स्वीकृति
(क) पूर्वी क्षेत्र										
बिहार	4,927.4	4,256.1	1,030.7	967.4	582.4	574.3	6,540.5	1.27	5,797.8	1.51
उड़ीसा	7,260.3	5,424.7	1,883.8	1,371.1	2,030.8	1,592.6	11,174.9	2.17	8,388.4	2.18
सिक्किम	210.3	181.7	24.5	37.2	11.0	10.9	245.8	0.05	229.8	0.06
पश्चिमी बंगाल, अण्डमान	15,865.2	11,780.8	2,185.5	1,835.8	2,282.9	1,042.9	20,333.6	3.94	14,659.5	3.81
निकोबार द्वीपसमूह	4.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.00	5.1	0.00
उप-योग (क)	28,267.4	21,648.4	5,124.5	4,211.5	4,907.1	3,220.7	38,229.0	7.43	29,080.6	7.56
(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र										
अरुणाचल प्रदेश	84.9	77.6	14.6	14.8	16.7	16.7	116.2	0.02	109.1	0.03
असम	1,105.9	906.6	133.1	130.7	114.6	90.2	1,353.6	0.26	1,127.5	0.29
मणिपुर	181.6	157.8	47.9	41.8	62.0	71.8	291.5	0.06	271.4	0.07
मेघालय	318.2	263.0	44.3	40.2	75.2	54.3	437.7	0.08	357.5	0.09
मिजोरम	84.3	84.3	10.6	10.0	11.7	11.6	106.6	0.02	105.9	0.03
नागालैण्ड	103.9	101.0	14.8	14.8	19.1	19.1	137.8	0.03	134.9	0.04
त्रिपुरा	224.8	224.8	50.1	51.0	64.6	58.3	359.5	0.07	334.1	0.09
उप-योग (ख)	2,123.6	1,815.1	315.4	303.3	363.9	322.0	2,802.9	0.54	2,440.4	0.63
(ग) उत्तरी क्षेत्र										
हरियाणा	24,506.8	16,873.0	2,479.7	2,292.8	1,805.8	1,227.8	28,792.3	5.58	20,393.6	5.30
हिमाचल प्रदेश	2,945.8	2,340.8	381.8	324.0	292.1	267.9	3,619.7	0.70	2,932.7	0.76
जम्मू और कश्मीर	1,249.9	1,027.1	179.0	169.0	153.7	113.4	1,582.6	0.31	1,309.5	0.34
पंजाब	14,734.7	11,163.3	2,699.9	2,102.9	2,045.2	2,234.5	19,479.8	3.78	15,500.7	4.03
राजस्थान	17,534.7	12,103.6	2,459.6	1,952.3	2,374.9	1,279.6	22,369.2	4.34	15,335.5	3.99
उत्तर प्रदेश	27,591.0	22,162.9	1,979.2	1,737.7	3,068.5	1,965.1	32,638.7	6.33	25,865.7	6.72
चण्डीगढ़	614.7	361.2	1,295.9	172.5	742.7	42.6	2,653.3	0.51	576.3	0.15
दिल्ली	24,409.4	18,080.9	2,619.1	1,337.7	2,095.5	1,306.9	29,124.0	5.65	20,725.5	5.39
उप-योग (ग)	1,13,587.0	84,112.8	14,094.2	10,088.9	12,578.4	8,437.8	1,40,259.6	27.20	1,02,639.5	26.68
(घ) पश्चिमी क्षेत्र										
गोवा	4,908.7	3,660.1	752.6	783.6	688.3	650.4	6,349.6	1.23	5,094.1	1.32
गुजरात	53,389.2	34,975.2	6,982.1	4,173.6	4,730.9	3,694.5	65,102.2	12.62	42,843.3	11.14
मध्य-प्रदेश	13,769.6	10,758.0	2,845.9	2,280.7	1,532.5	1,738.2	18,148.0	3.52	14,776.9	3.84
महाराष्ट्र	66,400.1	49,996.1	10,368.5	8,206.7	6,402.1	6,273.2	83,170.7	16.13	64,476.0	16.76
दादर व नगर हवेली	626.0	437.7	162.1	133.1	52.3	44.5	840.4	0.16	615.3	0.16
दमन व दीव	271.2	134.7	21.9	13.0	33.7	32.0	326.8	0.06	179.7	0.05
उप-योग (घ)	1,39,364.8	99,961.8	21,133.1	15,590.7	13,439.8	12,432.8	1,73,937.7	33.73	1,27,985.3	33.27
(ङ) दक्षिणी क्षेत्र										
आन्ध्र प्रदेश	20,591.0	15,612.1	2,760.2	2,225.1	2,729.0	1,718.4	26,080.2	5.06	19,555.6	5.08
कर्नाटक	36,369.5	29,258.5	4,010.7	3,027.9	5,125.3	3,425.4	45,505.5	8.82	35,711.8	9.28
केरल	19,486.1	14,930.2	3,561.3	3,173.8	2,902.1	2,614.0	25,949.5	5.03	20,718.0	5.39
तमिलनाडु	50,854.2	39,141.5	6,160.4	4,427.7	5,084.9	2,484.9	62,099.5	12.04	46,054.1	11.97
लक्षदीप	1.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.00	0.9	0.00
पांडिचेरी	689.3	420.3	18.7	28.1	35.3	15.8	743.3	0.14	464.2	0.12
उप-योग (ङ)	1,27,991.2	99,363.5	16,511.3	12,882.6	15,876.6	10,258.5	1,60,379.1	31.10	1,22,504.6	31.85
कुल (क+ख+ग+घ+ङ)	4,11,334.03	3,06,901.6	57,178.5	43,077.0	47,165.8	34,671.8	5,15,675.3	1,00.00	3,54,650.4	100.00
फैक्टरिंग	4,110.0	3,400.0	2,135.0	2,105.0	0.0	0.0	6,245.0		5,505.0	
अन्य संस्थाओं को एल ओ सी	7,000.0	4,250.0	250.0	150.8	0.0	0.0	7,250.0		4,400.8	
अन्य कार्यों के लिए एल ओ सी	750.0	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	750.0		42.4	
एन एस आई सी संस्थाओं को	490.0	326.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.0		326.0	
उद्यम पूँजी वी सी एफ-एन	1,195.0	248.8	282.6	72.0	0.0	334.4	1,477.6		655.2	
एफ एस आई टी को अंशदान	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0		0.0	
पी एण्ड डी के अन्तर्गत	748.2	344.6	301.3	190.5	440.2	257.9	1,489.7		793.0	
सहायता बैंकों को एस टी एल	25,410.0	14,356.7	42,500.0	24,039.7	60,600.0	29,150.0	128,510.0		67,546.4	
कुल योग	4,51,437.2	3,29,870.1	1,02,647.4	69,635.0	1,08,206.0	64,414.1	6,62,290.6		4,63,919.2	

(स्रोत : सिडबी)



सारणी-4

सिडबी - पुनर्वित्त : उद्योगवार सहायता

(दस लाख रुपयों में)

उद्योग	1990-1999		1999-2000		2000-2001		1990-2001			
	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	%शेयर	वितरण	%शेयर वितरण
खाद्य उत्पाद (चीनी सहित)	18,692.9	13,546.5	2,080.1	1,558.6	1,935.5	1,402.9	22,708.5	9.34	16,508.0	8.69
वस्त्र (जूट सहित)	19,670.6	14,177.0	1,694.9	1,392.6	1,410.8	1,094.1	22,776.3	9.36	16,663.7	8.77
पेपर और पेपर उत्पाद	6,186.3	4,641.0	357.3	331.0	333.6	285.9	6,877.2	2.83	5,257.9	2.77
रबड़ और रबड़ उत्पाद	2,285.5	1,639.9	95.0	91.7	77.0	66.0	2,457.5	1.01	1,797.6	0.95
उर्वरक	315.9	226.0	43.4	32.9	3.1	5.3	362.4	0.15	264.2	0.14
रसायन और रसायन उत्पाद	13,678.9	9,522.4	948.8	669.9	699.2	551.1	15,296.9	6.29	10,743.4	5.65
सीमेंट	3,444.3	2,089.7	132.7	97.7	182.6	110.2	3,759.6	1.55	2,297.6	1.21
मूल धातुएं	4,902.3	3,389.9	286.2	252.4	355.6	194.2	5,544.1	2.28	3,836.5	0.02
धातु उत्पाद	10,774.6	7,602.5	1,189.8	998.0	898.4	758.1	12,862.8	5.29	9,358.4	4.92
मशीनरी	9,196.2	7,258.9	764.7	663.8	215.0	210.2	10,175.9	4.18	8,132.9	4.28
वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद	4,604.3	3,396.5	503.0	453.7	440.3	391.0	5,547.6	2.28	4,241.2	2.23
परिवहन उपकरण	9,021.0	8,041.7	699.6	576.8	533.3	516.0	10,253.9	4.22	9,134.5	4.81
वैद्युत सृजन	127.6	91.5	4.8	7.3	10.7	7.6	143.1	0.06	106.4	0.06
सेवाएं	60,940.6	53,854.6	6,431.5	5,301.1	5,723.4	3,826.5	73,095.5	30.05	62,982.2	33.14
अन्य	38,671.6	28,416.9	5,834.3	4,914.5	6,841.2	5,368.5	51,347.1	21.11	38,699.9	20.37
योग:	202,512.6	157,895.0	21,036.1	17,342.0	19,659.7	14,787.6	243,208.4	100.00	190,024.6	100.00

(स्रोत : सिडबी)

टिप्पणी : 2000-2001 को छोड़कर एल ओसी योजना के अधीन आर टी.डी.एम को सहायता शामिल नहीं। बैंकों को एस टी एल के रूप में सहायता शामिल नहीं।

सारणी-5

सिडबी : प्रमुख बातें

(दस लाख रुपयों में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
स्वीकृतियाँ	24,101.0	28,470.0	29,091.0	33,564.0	47,063.0	60,656.0	64,853.0	74,842.0	88,798.0	102,647.0	108,206.0
वितरण	18,388.0	20,280.0	21,463.0	26,727.0	33,898.0	48,008.0	45,847.0	52,407.0	62,852.0	69,635.0	64,414.0
कुल सम्पत्तियाँ	53,092.0	66,799.0	74,845.0	94,530.0	103,581.0	116,057.0	130,408.0	139,121.0	152,984.0	165,615.0	170,897.0
बकाया पोर्टफोलियो	51,768.0	64,755.0	72,527.0	88,005.0	97,006.0	108,717.0	121,846.0	128,616.0	142,086.0	151,943.0	145,706.0
कुल सम्पत्ति की प्रतिशतता के रूप में मानक सम्पत्ति	-	-	-	96.5	97.7	97.2	95.4	95.9	96.5	96.2	95.6
कुल आय	4,251.0	5,061.0	6,747.0	8,518.0	10,000.0	11,353.0	12,905.0	14,085.0	15,785.0	15,979.0	16,194.0
निवल आय	356.0	722.0	1,083.0	1,351.0	1,913.0	2,613.0	3,157.0	4,052.0	4,504.0	4,594.0	4,774.0
नेटवर्क	4,796.0	5,403.0	6,114.0	7,031.0	8,457.0	10,258.0	12,555.0	20,331.0	23,590.0	26,860.0	37,710.0
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)	19.5	20.0	18.5	17.0	19.0	21.0	25.7	25.7	26.9	27.8	28.1
आई डी बी आई को अन्तरित लाभ शेष	50.0	150.0	250.0	300.0	540.0	540.0	540.0	675.0	675.0	675.0	675.0
बकाया पोर्टफोलियो पर रिटर्न (%)	0.7	1.1	1.4	1.5	1.9	2.4	2.6	3.2	3.2	3.0	3.3

(स्रोत : सिडबी)